राजेश्वरी विरूद्ध लाली आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 2076–एक / 14 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-12-14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यताएवं समयसीमा के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी अपरआयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 98 / 2010–11 / अपील में पारित आदेश दिनांक 25–5–12 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 8–7–14 को पेश की गई है जो अवधि बाह्य है । विलंब क्षमा का जो आवेदन दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि आवेदक ने अपने वकील से प्रकरण के संबंध में कई बार जानकारी मांगी किंतु उनके द्वारा जानकारी न दिए जाने से न्यायालय के संबंधित बाबू से जानकारी ली इस संबंध में ना तो वकील का शपथपत्र है कि उसके द्वारा जानकारी नहीं दी गई । विलंब से प्रस्तुत प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्टीकरण आवश्यक है जो इस प्रकरण में नहीं है । ऐसी स्थिति में विलंब का समुचित स्पष्टीकरण न होने से यह निगरानी अवधि बाह्य होने से निरस्त किया जाता है । 2– आवेदक सूचित हों । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

Re.1 कोर्ट फी COURT FEE INDIA भारत एक रुपया ONE RUPEE

Re.1 कोर्ट फी COURT FEE INDIA भारत एक रुपया ONE RUPEE

Re.1 कोर्ट फी COURT FEE INDIA भारत एक रुपया ONE RUPEE

2रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES Rs.2

विलोपित विलोपित विलोपित

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2014 निगरानी R-2076-I/14

Dlo कृष्ण चौकसे अभि. ... द्वारा आज दि. 8-7-14 को प्रस्तुत

8/7/14

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
4.55 P.M

राजेश्वरी वेवा जगत सिंह, निवासी– गुलालपुरा परगना व जिला भिण्ड

.........आवेदिका

बनाम

1. लाली देवी पुत्री श्री जगत सिंह पत्नि मंजीत, निवासी – ग्राम लहरोली परगना व जिला भिण्ड
2. डिल्लीराम पुत्र श्री ग्यादीन, निवासी– गुलालपुरा परगना व जिला भिण्ड

.....अनावेदकगण

8/7/14
(... S. Dhakad
Adv.)